न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी –सह– अंचल अधिकारी, कसमार

अनुसूची 14 – फारम सं० 562।

आदेश – पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक / ता० ..... से ..... तक

जिला– बोकारो, वाद सं० 31/2021-22 सन् 20.....

केस का प्रकार नीलाम पत्र वाद (बैंक ऋण हेतु)

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
1 03.09.4	प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया, कसमार शाखा, जिला– बोकारो, अपने विद्वान अधिवक्ता के द्वारा देनदार सुधीर स्वर्णकार पिता अभिलाष स्वर्णकार ग्राम+पो०-बगदा थाना- कसमार जिला बोकारो के विरूद्ध बकाया राशि 44368=00 चौवालीस हजार तीन सौ सरसठ रुपये की वसूली हेतु अधियाचना पत्र दाखिल किया गया है। साथ ही "कोर्ट फी" रूपये 3,592=00 तीन हजार पाँच सौ बान्वे रु. कुल सैंतालिस हजार नौ सौ साठ रु. रूपये का वसूली दावा दाखिल किया गया है। अधियाचना पत्र परिपूर्ण है एवं बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार के विरूद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग अधिनियम 4 वर्ष 1914 की धारा 7 के तहत नोटिस निर्गत करें। नोटिस तामिला हेतु अधियाची पदाधिकारी को भेजें। अभिलेख दिनांक ..... को उपस्थापित करें। 3.9.24 नीलाम पत्र पदाधिकारी, –सह– अंचल अधिकरी कसमार।	

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 2023.03.10 18:51:19 +05:30
Location: 10.93.136.131